GCMS-2023/151

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

राजदीप सिंह बनाम स्टेट व हरलाल पुत्र श्री सुरजाराम

अपील प्रकरण सं0 32/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
14.07.2023	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की एव रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक राजस्व/2022/1834 दिनांक 23.08.2022 में मु.नं.44 के किला नंबर 1 ता 10 में से मु.नं.45 के किला नम्बर 01,10,11,20,21 तथा मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 01 में से आने जाने पर प्राथी को आसानी है जबकि अपीलार्थी को मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 01 ता 11 तक चल रहे रास्ता में आने जाने में आसानी रहती है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके निवेदन है कि अपील के लम्बनाकाल के दौरान अप्रार्थी के विरुद्ध स्थगन आदेश इस आशय का जारी फरमाया जावे कि चक 24 एम.एल के मुरब्बा नंबर 44के किला नंबर 1 ता 11 में चल रहे रास्ता के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलार्थी संख्या 02 को पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलाधीन चक 24 एम.एल के मुरब्बा नंबर 44के किला नंबर 1 ता 11 मे चल रहे रास्ता की मौके एव रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखें। अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। रेसपोडेन्ट एवं रिकॉर्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.08.2023 को पेश हो। ह0 अपठनीय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	
7.8.23	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित स्थगन आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है पत्रावली वास्ते तलबी रिकॉर्ड 4/9/23 को पेश हो ह0 अपठनीय	
04.9.23	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 17.10.23 को पेश हो। ह0	
	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ प्रशासनिक कार्य में व्यस्त कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 15/12/23 को पेश हो। ह0	
15/12/23	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 31/1/24 को पेश हो ह0	

25.11.24 अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी अधिवक्ता पुनः सम्मन तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23.12.24 को पेश हो।

23.12.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता बलराम कुमार ने प्रार्थिया सरबती उर्फ सरस्वती पत्नी श्री बलवन्तराम की तरफ से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता अपीलार्थी को दिखाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलबी हेतु दिनाँक 08/1/2025 को पेश हो।

08.01.25 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। जवाब हेतु समय चाहा, जो दिया जाता। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र व रेस्पोन्डेन्ट 02 की तलबी हेतु दिनांक 17.02.25 को पेश हो।

17.2.2025 अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया, जो प्रदान किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र हेतु दिनाँक 26.3.2025 को पेश हो।

26/3/25 अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान का आपसी में राजीनामा हो गया है, इस कारण अपीलार्थी कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता है, इस कारण उपरोक्त शिर्षक की पत्रावली में कार्यवाही समाप्त कर अभिलेखगार में जमा कराने का आदेश दिया जाना न्यायेचित है साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील नोटप्रैस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण एवं पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो जाने के कारण हस्तगत अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

Notpress
C.Kmy
26/3/2025
(न्यायालय.)

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर